राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 1650/2019

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8218/2018

मुकेश कुमार सैनी पुत्र स्वर्गीय श्री बिरदी चंद सैनी, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ढाणी कानी की, गांव व पोस्ट मावंडा थाना, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर (राजस्थान)

----अपीलार्थी/याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार भण्डारण निगम, अपने प्रबंध निदेशक, भवानी सिंह रोड, जेडीए जयपुर के पास के माध्यम से।
2. संयुक्त निदेशक, राजस्थान सरकार भण्डारण निगम, भवानी सिंह रोड, जेडीए के पास, जयपुर।
3. गोदाम प्रबंधक, राजस्थान सरकार भंडारण निगम, नीमा का थाना, जिला सीकर।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री विज्ञान शाह, अधिवक्ता, को अधिवक्ता हरेंद्र नील, अधिवक्ता सारा एस. शर्मा, अधिवक्ता, अधिवक्ता यश जोशी, अधिवक्ता पुलकित भारद्वाज, अधिवक्ता अक्षित गुप्ता, अधिवक्ता पुखराज चावला और अधिवक्ता कमलेश शर्मा के द्वारा सहायता प्रदत्त।
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री आर.ए.कट्टा, अधिवक्ता के साथ श्री एम.के.धाकड़, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़
माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

<u>आदेश</u>

<u>24/04/2023</u>

<u>न्यायालय द्वारा;- (माननीय गौड़, न्यायमूर्ति)</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

अपीलार्थी (इसके बाद 'अपीलार्थी') द्वारा 24.10.2019 के विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध व्यथित महसूस करते हुए यह विशेष अपील दायर की गई है,

जिसके तहत अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाले अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि अपीलार्थी स्वयं को स्वर्गीय श्री बिरदी चंद सैनी (अपीलार्थी के पिता) का सबसे बड़ा पुत्र होने का दावा कर रहा है, जो निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे और उनकी मृत्यु हो गई। सेवा में, अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

3. अपीलार्थी ने अपनी रिट याचिका में अनुरोध किया है कि उसके पिता का निधन 29.01.2018 को हो गया था और अपीलार्थी की मां- स्वर्गीय श्री बिरदी चंद सैनी की पत्नी और एक और बेटा-अपीलार्थी का छोटा भाई-सुभाष चंद सैनी, परिवार के सदस्य थे। मृत कर्मचारी की और इस प्रकार, अपीलार्थी पर अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के भरण-पोषण की एकमात्र जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसने बी.एससी. की शिक्षा योग्यता हासिल कर ली थी और मानव संसाधन में एम.बी.ए., अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया और 22.02.2018 को एक आवेदन (अपेक्षित औपचारिकताओं के साथ) जमा किया।

4. अपीलार्थी ने अपनी रिट याचिका में अनुरोध किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन उसकी मां-श्रीमती संतोष देवी और उनके भाई सुभाष चंद सैनी ने गवाही दी कि अपीलार्थी को नियुक्ति दी जा सकती है, हलफनामे द्वारा समर्थित था।

5. अपीलार्थी ने अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि प्रत्यर्थी-नियोक्ता ने दिनांक 13.03.2018 को आक्षेपित आदेश जारी किया, जिसके तहत अपीलार्थी का दावा दो से अधिक बच्चे होने के कारण खारिज कर दिया गया था। आक्षेपित आदेश में राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र/अधिसूचना दिनांक 08.04.2003 और परिपत्र दिनांक 13.08.2004 का उल्लेख किया गया है।

6. अपीलार्थी ने दिनांक 13.03.2018 के आक्षेपित आदेश की आलोचना करते हुए अपनी रिट याचिका में अनुरोध किया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिनांक 08.04.2003 और 13.08.2004 के परिपत्र, अनुकंपा के आधार पर रोजगार के संबंध में लागू नहीं थे। राजस्थान सरकार भण्डारण निगम-नियोक्ता के कार्यालय में प्रदान किया गया।

7. अपीलार्थी ने अपनी रिट याचिका में आगे कहा कि नियोक्ता ने राजस्थान सरकार भंडारण निगम (सेवा के दौरान मरने वाले आश्रितों या निगम कर्मचारियों की भर्ती)

विनियम, 1983 (इसके बाद '1983 के विनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) प्रख्यापित किया है।

8. अपीलार्थी ने दलील दी है कि 1983 के प्रासंगिक अनुकंपा विनियमों में एक विशेष संख्या में बच्चे होने के कारण अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में किसी भी अयोग्यता का प्रावधान नहीं किया गया है।

9. अपीलार्थी ने अनुरोध किया है कि राजस्थान सरकार भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1974 (इसके बाद '1974 के विनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) भी नियोक्ता द्वारा प्रख्यापित किए गए थे और यहां तक कि इसके संबंध में पात्र उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करते समय भी नियमित नियुक्ति, दो से अधिक बच्चे होने पर कोई अयोग्यता नहीं थी।

10. अपीलार्थी ने रिट याचिका में आगे दलील दी कि अपीलार्थी के छोटे भाई-सुभाष चंद सैनी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने का एक वैकल्पिक तरीका हालांकि आक्षेपित आदेश में दिया गया है, तथापि, छोटे भाई को रोजगार की पेशकश की गई है। भाई अपीलार्थी के लिए कोई सांत्वना नहीं था, क्योंकि अपीलार्थी मृत पिता का सबसे बड़ा बेटा था, उसे अपनी माँ की देखभाल करनी थी।

11. अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका प्रवेश स्तर पर खारिज कर दी गई थी और इसलिए, वर्तमान विशेष अपील दायर की गई है।

12. प्रत्यर्थियों ने वर्तमान विशेष अपील में अपना उत्तर दाखिल किया है। प्रत्यर्थियों ने अपने उत्तर में दलील दी है कि अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को विद्वान एकलपीठ ने सही ढंग से खारिज कर दिया है और खंडपीठ द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. प्रत्यर्थियों ने अपने उत्तर में दलील दी है कि अपीलार्थी ने 1983 के विनियम 5 के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति पाने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। प्रत्यर्थियों ने दलील दी है कि केवल इसलिए कि सामान्य भर्ती नियमों/विनियम में छूट का प्रावधान है, यह अपीलार्थी को नियुक्ति मांगने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

14. प्रत्यर्थियों ने दलील दी है कि नियोक्ता-राजस्थान सरकार भंडारण निगम ने अपीलार्थी की मां को उत्तर दिया था और दिनांक 13.03.2018 को इस आशय का पत्र दिया था कि अपीलार्थी इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का पात्र नहीं है कि उसके पास

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.04.2003 और परिपत्र दिनांक 13.08.2004 के आलोक में 01.06.2002 के बाद जन्मे तीन बच्चे हैं।

15. प्रत्यर्थियों ने आगे दलील दी है कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.10.2005 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि दो से अधिक बच्चे पैदा करने का नियम अपवाद के साथ है और केवल विधवा के मामले में लागू है। मृत कर्मचारी और चूंकि अपीलार्थी के दो से अधिक बच्चे थे, इसलिए वह नियुक्ति का पात्र नहीं था।

16. प्रत्यर्थियों ने आगे कहा कि निगम ने 13.03.2018, 05.04.2018, 08.05.2018 और 02.07.2018 को कई पत्र जारी कर अपीलार्थी की मां को सूचित किया कि मृतक का बड़ा बेटा अर्थात अपीलार्थी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र नहीं है।

17. प्रत्यर्थियों ने आगे दलील दी है कि 1974 के विनियमों के विनियम 35 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि सेवा मामले से संबंधित कोई भी प्रावधान निगम द्वारा शामिल नहीं किया गया है, तो राजस्थान सरकार द्वारा जब तक निगम ऐसा प्रावधान नहीं करता, प्रावधान लागू रहेगा, जैसा कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 में निहित है।

18. प्रत्यर्थियों ने आगे दलील दी है कि अपीलार्थी राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.10.2005 के मद्देनजर अनुकंपा नियुक्ति का पात्र नहीं है, जो स्पष्ट रूप से दो से अधिक बच्चे होने पर अनुकंपा नियुक्ति पर प्रतिबंध प्रदान करता है।

19. प्रत्यर्थियों ने आगे दलील दी है कि अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार एक निहित अधिकार नहीं है और अपीलार्थी द्वारा किए गए दावे पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और नियोक्ता की सद्भावना देखी जानी चाहिए, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति पर माँ के साथ-साथ छोटे बेटे को भी नौकरी प्रस्तावित की गई थी, जिनके पास अपेक्षित योग्यता थी।

20. प्रत्यर्थियों ने उत्तर में दलील दी है कि अपीलार्थी स्वयं अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार के लिए एकमात्र रोटी कमाने वाला नहीं हो सकता है और यहां तक कि छोटा भाई भी अपनी मां के हितों की देखभाल कर सकता है और इस तरह, अपीलार्थी को कोई राहत दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

21. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विज्ञान शाह ने विद्वान एकलपीठ के निष्कर्षों का विरोध करते हुए निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:-

21.1. आक्षेपित आदेश दिनांक 13.03.2018 गलत आधार पर आधारित है, क्योंकि कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.04.2003 और परिपत्र दिनांक 13.08.2004 अनुकंपा नियुक्ति देते समय मामलों पर विचार करने के संबंध में बिल्कुल भी लागू नहीं है।

अधिसूचना दिनांक 08.04.2003 ने विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किया था और उक्त संशोधन को राजस्थान सरकार में विभिन्न 104 सेवा नियमों पर लागू किया गया था और यहां तक कि अनुसूची में भी जो अधिसूचना दिनांक 08.04.2003 के साथ जोड़ी गई थी, राजस्थान मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 (इसके बाद इसे '1996 के नियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को शामिल नहीं किया गया था और इस प्रकार, प्रत्यर्थियों ने गलत तरीके से दिनांक 08.04.2003 की अधिसूचना का सहारा लिया है।

13.08.2004 का अगला परिपत्र केवल पिछली अधिसूचना दिनांक 08.04.2003 को दोहराने के संबंध में था और इसे सरकार के विभिन्न विभाग प्रमुखों द्वारा उचित तरीके से लागू किया जाना आवश्यक था।

21.2. अपीलार्थी का मामला वैधानिक नियमों द्वारा शासित होना आवश्यक था, जो नियोक्ता द्वारा बनाए गए हैं। 1983 के विनियमों के विनियम 5 में सामान्य भर्ती नियमों/विनियमों में छूट देते हुए मौजूदा रिक्ति के विरुद्ध निगम में उपयुक्त रोजगार देने वाले मृत परिवार के एक सदस्य की भर्ती का प्रावधान है, बशर्ते कि ऐसा सदस्य शैक्षिक योग्यता और भर्ती की अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो। प्रासंगिक अनुकंपा नियमों के तहत दो से अधिक बच्चे होने को अयोग्यता के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है और इस प्रकार, अपीलार्थी के मामले को प्रचलित नियमों द्वारा शासित किया जाना आवश्यक था।

21.3. वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, 1962 (इसके बाद '1962 का केंद्रीय अधिनियम') की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियोक्ता द्वारा 1974 के विनियम तैयार किए गए हैं और इस प्रकार, नियम जो सरकार सरकार द्वारा प्रख्यापित किए गए हैं अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में तथ्यात्मक रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

1974 के विनियमों के तहत भी नियुक्ति के लिए अयोग्यता के संबंध में मुद्दे में

केवल दो अयोग्यताएं शामिल थीं अर्थात (क) एक व्यक्ति, जिसे पहले निगम की सेवा से या किसी सरकार के विभाग से या किसी अन्य सरकारी संस्थान से बर्खास्त कर दिया गया हो; और (ख) एक व्यक्ति, जिसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए न्यायालय में दोषी ठहराया गया है।

चूंकि नियमित नियुक्ति के लिए अयोग्यता में सामान्य रोजगार में भी दो से अधिक बच्चे होने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए नियोक्ता 1974 के विनियमों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्यता का हवाला देकर पात्र व्यक्तियों को अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है।

21.4. प्रत्यर्थियों द्वारा विनियम 35 पर की गई निर्भरता पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह उस स्थिति से संबंधित है, जहां किसी भी कर्मचारी की सेवा के नियम और शर्तें, 1974 के विनियमों/नियमों द्वारा कवर नहीं की जाती हैं और ऐसे समय तक जब तक निगम अपने स्वयं के नियम नहीं बनाता है। ऐसे मामलों को विनियमित करते हुए, राजस्थान सेवा नियमों के प्रासंगिक प्रावधान लागू हो सकते हैं।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सबसे पहले 1974 के उक्त विनियम किसी व्यक्ति की नियुक्ति से संबंधित हैं और नियुक्ति के बाद, यदि कर्मचारियों के कुछ नियम और शर्तें शामिल नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में, राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधान लागू हो सकते हैं।

21.5. राजस्थान सेवा नियम, 1951 में कोई प्रावधान नहीं है जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित है और राजस्थान सरकार विभाग में, यह केवल 1996 के नियम हैं, जो विभिन्न सरकारी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश के क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं।

21.6. छोटे भाई को नियुक्ति की पेशकश अपीलार्थी के लिए कोई सांत्वना नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी की मां और छोटे भाई ने पहले ही अपीलार्थी को उपयुक्त पद पर नियुक्ति की पेशकश का अपेक्षित हलफनामा दे दिया है।

21.7. अपीलार्थी के पिता की मृत्यु 29.01.2018 को हो गई थी और दो महीने की अवधि के भीतर बिना किसी देरी के अपीलार्थी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया गया था और इस प्रकार, आवेदन दाखिल करने में कोई देरी नहीं हुई है जिसके कारण अपीलार्थी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है।

21.8. रिट याचिका पर निर्णय करते समय विद्वान एकलपीठ ने तथ्यों के साथ-साथ कानून पर भी विचार नहीं किया है और केवल 1996 के नियमों की दी गई व्याख्या के आधार पर, पहले उठाए गए विभिन्न विधिक मुद्दों पर एकलपीठ द्वारा विचार किए बिना, आक्षेपित आदेश पारित कर दिया है।

22. **इसके विपरीत,** प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर.ए.कट्टा ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

23. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.ए. कट्टा ने विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:-

23.1. अनुकंपा नियुक्ति देने का उद्देश्य परिवार को न्यूनतम सहायता देना था, क्योंकि परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति समाप्त हो गया था।

प्रत्यर्थी-नियोक्ता ने तुरंत अपीलार्थी के छोटे भाई को रोजगार की पेशकश की थी और इस प्रकार, नियोक्ता की सद्भावना पर किसी भी तरह से प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है या उनके निर्णय को मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

23.2. नियुक्ति देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के दावे का परीक्षण प्रत्यर्थियों द्वारा किया गया है। अधिकारियों ने दिनांक 13.03.2018 को सही आदेश जारी किया है, क्योंकि नियोक्ता को यह विचार करना था कि अपीलार्थी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्त को पूरा करता है या नहीं।

अपीलार्थी के दो से अधिक बच्चे थे, जिनका जन्म 01.06.2002 के बाद हुआ था और इस प्रकार, ऐसी अयोग्यता होने पर अपीलार्थी की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता था।

23.3. समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी के दावे की जांच की गई है। केवल आवेदन जमा करने या अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने की पात्रता रखने से रोजगार नहीं मिलेगा, अनुकंपा नियुक्ति सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से उत्पन्न परिस्थितियों को कम करने के लिए एक विशेष प्रावधान है।

23.4. उच्चतम न्यायालय ने बार-बार यह कानून बनाया है कि अनुकंपा नियुक्ति चयन का नियमित तरीका नहीं है, यह केवल नियोक्ता द्वारा मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार

के प्रति दिखाई गई करुणा है और इस तरह, इससे पहले किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। न्यायलय ने कहा कि हर हाल में नियुक्ति दी जानी जरूरी है।

23.5. उच्चतम न्यायालय ने मामलों की श्रृंखला में यह कानून बनाया है कि यदि आवेदन देरी से दायर किया जाता है या मामले पर देर से विचार किया जाता है, तो अनुकंपा नियुक्ति देने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित पारित निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

1. **हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य बनाम शशि कुमार ने [(2019) 3 एससीसी 653]** में प्रकाशित उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा 28 यहां उद्धृत किया गया है:-

> "**28.** *भारतीय स्टेट बैंक बनाम सूर्य नारायण त्रिपाठी* मामले में इस न्यायालय के की खंडपीठ के एक अन्य निर्णय में भी यही सिद्धांत दोहराया गया है। गोविंद प्रकाश वर्मा (सुप्रा.) के निर्णय के आधार पर विद्वान अधिवक्ता की दलील पेश करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा: *(सूर्य नारायण त्रिपाठी मामला, एससीसी पी.741, पैरा 8-9)*
>
> 8. उन्होंने गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम एलआईसी में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जहां यह विचार किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को उचित रोजगार मिला था और सेवा लाभ पर्याप्त थे। हम विनम्रतापूर्वक कह सकते हैं कि यह दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण के विपरीत है जो पहले *उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा सरकार* में लिया गया था, जिसे *गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम एलआईसी* में न्यायालय के समक्ष उद्धृत नहीं किया गया था। ऊपर उल्लिखित बाद के दो निर्णय भी *उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा सरकार* के समान ही दृष्टिकोण रखते हैं। श्री विकास सिंह ने हमारा ध्यान एसबीआई बनाम सोमवीर सिंह के निर्णय की ओर आकर्षित किया है जहां 1998 की योजना पर विचार किया गया है।
>
> 9. अनुकंपा नियुक्ति के सभी मामलों में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह मूल रूप से उस परिवार के लिए एक रास्ता है जो कमाने वाले की मृत्यु के कारण आर्थिक रूप से कठिनाइयों में है। यह किसी नियमित रोज़गार का अवसर नहीं है। यह वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रावधानों का अपवाद है। ऐसा होने पर, यदि कोई नियोक्ता बताता है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था पर्याप्त है, तो परिवार के सदस्य इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि उनमें से किसी एक को तुलनीय नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। यह वह सिद्धांत है जिसे सर्वत्र अपनाया गया है, हमारे लिए प्रत्यर्थी की ओर से की गई दलील को स्वीकार करना मुश्किल है।"

2. **हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य बनाम प्रकाश चंद ने [(2019) 4 एससीसी 285]**

में प्रकाशित उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा 10 से 12 इस प्रकार उद्धृत किए गए हैं:-

> "**10**. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा में, नीति की शर्तों को फिर से लिखना उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं था। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं है, लेकिन इसे उन शर्तों द्वारा शासित किया जाना चाहिए जिन पर सरकार मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को रोजगार सहायता प्रदान करने की नीति निर्धारित करता है। *[उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा सरकार, एसबीआई बनाम कुंती तिवारी, पंजाब नेशनल बैंक बनाम अश्वनी कुमार टेनेजा, भारतीय स्टेट बैंक बनाम सोमवीर सिंह, मुमताज यूनुस मुलानी बनाम महाराष्ट्र सरकार, भारत संघ बनाम शशांक गोस्वामी, भारतीय स्टेट बैंक बनाम सूर्य नारायण त्रिपाठी और केनरा बैंक बनाम एम. महेश कुमार]।*
>
> **11.** उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का निर्णय टिकाऊ नहीं है। उच्च न्यायालय ने वस्तुतः नीति की शर्तों को फिर से लिखा है और सरकार को उन आवेदनों पर विचार करने का निर्देश जारी किया है जो नीति की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। यह अस्वीकार्य है।
>
> **12.** इसके अलावा, हमें रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रत्यर्थी के पिता की मृत्यु 4-1-1997 को हुई थी। यद्यपि प्रत्यर्थी ने वयस्क होने पर आवेदन किया था, जैसा कि नीति के तहत अनुमति है, आवेदन 25-4-2008 को खारिज कर दिया गया था। इसके लगभग दो वर्ष और छह महीने बाद रिट याचिका दायर की गई। यह कहने के अलावा कि प्रत्यर्थी का बड़ा भाई जो सरकारी सेवा में था, अलग रह रहा था, याचिका के समर्थन में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। किसी भी स्थिति में, जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं, उच्च न्यायालय को ऐसा निर्देश जारी करना उचित नहीं था जो सरकार द्वारा बनाई गई नीति का उल्लंघन करेगा।"

3. **इंडियन बैंक और अन्य बनाम प्रोमिला और अन्य ने (2020) 2 एससीसी 729** में प्रकाशित उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा 4 और 20 को यहां उद्धृत किया गया है:-

> "**4**. इस न्यायालय की कई न्यायिक घोषणाओं के आधार पर, इस बात पर जोर देना उचित है कि अनुकंपा नियुक्ति, नियुक्ति सामान्य विकल्प नहीं है, और अनुकंपा नियुक्ति मांगने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। इसका उद्देश्य केवल कठिन समय में परिवार को सांत्वना और सहायता प्रदान करना है और इस प्रकार, प्रासंगिकता उस समय होती है जब कर्मचारी का निधन हो जाता है।
>
> **20**. हमें अनुकंपा रोजगार के मामलों पर लागू होने वाले बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा, अर्थात, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के चरण में सहायता प्रदान की जानी चाहिए, साथ ही अनुकंपा रोजगार सार्वजनिक रोजगार का वैकल्पिक तरीका नहीं होना चाहिए। यदि इन कारकों को ध्यान में रखा जाता है, तो यह देखा जाएगा कि प्रत्यर्थियों के पास समय के प्रासंगिक चरण में, मानदंडों के अनुसार, उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से निपटने के साधन थे, जिसका वे सामना कर रहे थे। इस प्रकार, किसी

> भी योजना के तहत देखा जाए तो, प्रत्यथी लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, हालांकि, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, यह केवल कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर प्रचलित प्रासंगिक योजना है, जिसे केनरा बैंक में निर्णय के मद्देनजर लागू माना जा सकता है। न्यायिक समीक्षा में किसी योजना को प्रतिस्थापित करना या उसकी शर्तों में जोड़ना या घटाना न्यायालयों का काम नहीं है, जैसा कि हाल ही में *हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य बनाम वी. प्रकाश चंद* में इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया है।

विद्वान अधिवक्ता ने **खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 261/2020 (रामदेव बनाम राजस्थान सरकार और अन्य)**, दिनांक 30.07.2020 में प्रधान पीठ, जोधपुर में समन्वय पीठ द्वारा पारित एक निर्णय पर भी भरोसा जताया।

24. विद्वान अधिवक्ता ने समन्वय बेंच द्वारा पारित निर्णय के आधार पर प्रस्तुत किया कि समन्वय बेंच ने कानून बनाया है कि यदि नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, तो पात्रता योग्यता और अन्य सेवा में छूट प्रदान की जाएगी। शर्तों के अनुसार दो से अधिक बच्चे होने पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जा सकती।

25. **इसके विपरीत,** अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों (i) **मलाया नंदा सेठी बनाम उड़ीसा सरकार और अन्य (सिविल अपील संख्या 4103/2022)** 20.05.2022 को निर्णय लिया गया, (ii) **मुकेश कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सिविल अपील संख्या 1620/2022 एसएलपी (सी) 18571/2018 से उत्पन्न)** 24.02.2022 को निर्णय लिया गया और (iii) **पश्चिम बंगाल सरकार बनाम देबब्रत तिवारी एवं अन्य [एआईआर 2023 एससी 1467]** में प्रकाशित पर भरोसा किया है।

26. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

27. इस न्यायालय द्वारा तय किया जाने वाला पहला मुद्दा दिनांक 13.03.2018 के आदेश की वैधता के संबंध में है, जिसके तहत सरकार सरकार द्वारा दिनांक 08.04.2003 और 13.08.2004 को जारी दो परिपत्रों के आधार पर अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया गया है।

28. तात्कालिक संदर्भ के लिए (i) 1983 के विनियमों के विनियम 5, (ii) 1974 के विनियमों के विनियम 35 और (iii) 1996 के नियमों के नियम 7 को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा:-

(i) 1983 के विनियमों का विनियम 5:-

> "**5**. मृतक के परिवार के एक सदस्य की भर्ती:-मृत निगम कर्मचारी के मामले में, उसके परिवार का एक सदस्य जो पहले से ही केंद्र/सरकार सरकार या केंद्र/सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित वैधानिक बोर्ड/संगठन/निगम के तहत कार्यरत नहीं है। सरकार, इस उद्देश्य के लिए आवेदन करने पर सामान्य भर्ती नियमों/विनियमों में छूट देकर बिना किसी देरी के केवल मौजूदा रिक्ति के विरुद्ध निगम में उपयुक्त रोजगार दिया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा सदस्य भर्ती की शैक्षिक और अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो।
>
> रिक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में या परिवार का कोई अन्य सदस्य अयोग्य या नाबालिग होने के कारण तत्काल रोजगार के लिए उपयुक्त या पात्र नहीं पाया जाता है, तो ऐसे मामलों पर पद की उपलब्धता पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए या उनमें से कोई एक इन नियमों के तहत योग्य या पात्र या ऐसा रोजगार बन जाता है।

(ii) 1974 के विनियम 35:-

> "**35**. आर.एस.आर. का अनुप्रयोग:- किसी भी कर्मचारी की सेवा के नियमों और शर्तों से संबंधित कोई भी मामला इन नियमों के अंतर्गत नहीं आता है, और जब तक निगम ऐसे मामलों को विनियमित करने के लिए अपने नियम नहीं बनाता है, तब तक राजस्थान सेवा नियमों के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।"

(iii) 1996 के नियमावली का नियम 7:-

> "7. योग्यताएँ:-
>
> (1) नियुक्ति के समय आश्रित के पास संबंधित सेवा नियमों के तहत पद के लिए निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए।
>
> (2) चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्ति पर विचार करते समय, पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा।
>
> (3) किसी आश्रित को नियुक्त करने से पहले, नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेगा कि वह अन्यथा उसके चरित्र और शारीरिक फिटनेस और संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अन्य सामान्य शर्तों को पूरा करने के लिए सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए है।

29. इस न्यायालय ने दिनांक 08.04.2003 की अधिसूचना को पढ़ने पर पाया कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करके अपनी शक्ति का प्रयोग किया था।

30. इस न्यायालय ने पाया कि उक्त अधिसूचना में अनुसूची में यह प्रावधान किया गया था कि 104 सेवा नियमों में संशोधन किया गया था और सरकार सरकार ने पात्रता शर्त निर्धारित की थी कि कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके 01.06.2022 के बाद दो से अधिक बच्चे हैं।

31. उक्त अधिसूचना को पढ़ने पर यह न्यायालय पाता है कि सरकार के 1996 के अनुकंपा नियम भी राजस्थान को उक्त अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था, और इस प्रकार, किसी भी कल्पना से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सरकार ने 1996 के नियमों में संशोधन करने का इरादा किया था।

32. इस न्यायालय ने आगे पाया कि प्रत्यर्थियों द्वारा पारित आदेश में दिनांक 13.08.2004 की अधिसूचना का संदर्भ है। इस न्यायालय ने आगे पाया कि कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार ने परिपत्र/आदेश जारी किया था, जिसके तहत सरकार ने दिनांक 08.04.2003 की अधिसूचना में लगाई गई पिछली शर्त को दोहराया और सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को कोई भी उम्मीदवार जिसके पास कट-ऑफ तिथि के बाद दो से अधिक बच्चे हों, नियुक्ति न देने के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।

33. इस न्यायालय ने पाया कि उक्त परिपत्र/आदेश दिनांक 13.08.2004 भी मामले के वर्तमान तथ्यों में लागू नहीं था, जबकि वर्तमान अपीलार्थी के मामले का निर्णय किया जाना था।

34. इस न्यायालय को अपीलार्थी के अधिवक्ता की दलील में दम नजर आता है कि एक बार नियोक्ता-राजस्थान सरकार भंडारण निगम द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की शर्तों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियम तैयार कर दिए जाने के बाद, नियोक्ता द्वारा बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार किसी भी पात्र व्यक्ति के मामले पर विचार करना आवश्यक है।

35. इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी-निगम ने 1983 के विनियम बनाए हैं, और उसके विनियम 5 के अवलोकन से पता चलता है कि परिवार का एक सदस्य जो पहले से ही केंद्र/सरकार सरकार या वैधानिक के तहत कार्यरत नहीं है केंद्र/सरकार सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले बोर्ड/संगठन/निगम द्वारा निगम में उपयुक्त रोजगार देने के लिए आवेदन करने पर बिना किसी देरी के सामान्य भर्ती नियमों/विनियमों में छूट देते हुए मौजूदा रिक्ति के विरुद्ध विचार किया जाएगा, बशर्ते ऐसा सदस्य भर्ती की शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं पूरा करता हो।

इस न्यायालय ने पाया कि 1983 के विनियमों के विनियम 5 में दो से अधिक बच्चे पैदा करने की कोई अयोग्यता प्रदान नहीं की गई है।

36. इस न्यायालय ने आगे पाया कि 1974 के विनियमों को नियोक्ता द्वारा 1962 के

केंद्रीय अधिनियम की धारा 42 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है और यहां तक कि उक्त विनियमन में, नियुक्ति के लिए अयोग्यता का कोई खंड शामिल नहीं है, जहां एक व्यक्ति हो सकता है नियुक्ति से वंचित, यदि वह पिछले रोजगार से बर्खास्तगी और नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने की शर्त को छोड़कर अन्यथा पात्र है।

37. यह न्यायालय पाता है कि चूंकि नियमित नियुक्ति के लिए प्रदान की गई अयोग्यता में भी ऐसी कोई शर्त नहीं है, इसलिए इस न्यायालय के लिए यह व्याख्या करना संभव नहीं होगा कि ऐसी शर्त अनुकंपा नियुक्ति की अयोग्यता में पढ़ी जाएगी।

हालाँकि, इस न्यायालय को यह कहने में ग़लत नहीं समझा जा सकता है कि नियोक्ता के पास पात्रता की शर्तें या अयोग्यता प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं है, और प्रासंगिक शर्तों को निर्धारित करना नियोक्ता का काम है और इस प्रकार, इस दृष्टिकोण से, इस न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है।

38. इस न्यायालय ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील में दम पाया कि विनियमन 35 की कोई प्रयोज्यता नहीं होगी, जिसे खंडपीठ के समक्ष रिट याचिका का उत्तर दाखिल करते समय प्रत्यर्थियों द्वारा लागू किया गया है।

यह न्यायालय विनियम 35 के अवलोकन पर पाता है कि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों को निगम के कर्मचारियों पर लागू किया जा सकता है, यदि कुछ अपर्याप्तता या अंतर है, जहां कर्मचारी की सेवा की कोई विशिष्ट नियम और शर्तें नहीं हैं प्रदान किया जाता है या कवर किया जाता है, जबकि, विनियम 35 लागू करना वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा, जहां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश की जानी है क्योंकि यह 1983 के विशेष विनियमों द्वारा शासित है।

39. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता की दलील कि नियोक्ता मृत सरकारी कर्मचारी के दूसरे बेटे को नियुक्ति देने में बहुत विचारशील रहा है और इस तरह, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि परिवार के सदस्यों को कोई न्यूनतम सहायता नहीं दी गई थी। इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि जिस आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, वह विधिक आधार पर आधारित नहीं है, जिस पर प्रत्यर्थियों द्वारा विचार किया जाना आवश्यक था और इस प्रकार, यह प्रामाणिक, जो दिखाया गया है वैकल्पिक रोजगार की पेशकश के संबंध में नियोक्ता अपीलार्थी को कोई सांत्वना नहीं दे

रहा है।

40. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलील कि अनुकंपा नियुक्ति पाने का अधिकार एक निहित अधिकार नहीं है, इस न्यायालय ने पाया कि उच्चतम न्यायालय ने बार-बार कानून के प्रस्ताव को दोहराया है कि यदि कोई विशेष सेवा नियम या अनुकंपा की योजना नियुक्ति नियोक्ता द्वारा शुरू की गई है, उसी का पालन करना आवश्यक है।

इस न्यायालय ने पाया कि एक बार नियोक्ता द्वारा अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए विशिष्ट नियम तैयार कर लिए जाने के बाद, उसका पालन करना आवश्यक था और ऐसा नहीं है कि न्यायालय अनुकंपा नियुक्ति देने की अपनी नीति विकसित कर रहा है जैसा कि प्रत्यर्थियों द्वारा प्रचारित किया गया है।

41. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.ए. कट्टा ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की मां को पहले ही सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ और अन्य देय सहित सेवा लाभ दिए जा चुके हैं।

इस न्यायालय ने पाया कि भले ही नियोक्ता ने विधवा को उसके पति की मृत्यु के कारण सेवा लाभ प्रदान किया हो, लेकिन यह अनुकंपा नियुक्ति के दावे से वंचित करने के लिए एक प्रासंगिक मानदंड नहीं हो सकता है जब तक कि नियम या योजना ऐसी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाती है।

42. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण कि उच्चतम न्यायालय ने **हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य बनाम प्रकाश चंद** (सुप्रा.) के मामले में नीति के उल्लंघन में अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर विचार नहीं करने का निर्देश दिया है और इस प्रकार, इस न्यायालय को वर्तमान मामले में हस्तक्षेप करने की भी आवश्यकता नहीं है।

इस न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय को ध्यान से पढ़ने पर पाया कि उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि नियोक्ता की नियुक्ति की पेशकश करने की नीति है, तो केवल ऐसी नियुक्ति की पेशकश की जा सकती है और उच्च भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय पॉलिसी की शर्तों को दोबारा नहीं लिख सकता है।

इस न्यायालय ने पाया कि उक्त निर्णय ने उच्च न्यायालय को राहत देने के लिए कहीं भी प्रतिबंधित नहीं किया है, जहां नियोक्ता द्वारा पहले से ही नियम बनाए गए हैं

और इस प्रकार, उक्त निर्णय प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता के लिए बहुत कम सहायता है।

43. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने ***हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य बनाम शशि कुमार*** (सुप्रा.) के मामले में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भरोसा किया है, इस न्यायालय ने पाया कि उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने **एसबीआई बनाम सूर्य नारायण त्रिपाठी** के मामले को **[2014 (15) एससीसी 739]** में प्रकाशित किया था। उच्चतम न्यायलय ने फिर से इस सिद्धांत को दोहराया कि यदि एक आवेदन देर से दायर किया गया है और परिवार की वित्तीय व्यवस्था पहले से ही सुरक्षित है तो देरी से चरण में नियुक्ति की पेशकश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप नहीं होगी।

इस न्यायालय ने पाया कि उक्त निर्णय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेष विनियमन पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को कहीं भी प्रतिबंधित नहीं किया है, जो अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में नियोक्ता द्वारा स्वयं तैयार किया गया है और आवेदन बिना किसी भी देरी के प्रस्तुत किया गया है और इस तरह, उक्त निर्णय प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के लिए बहुत कम सहायता है।

44. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **इंडियन बैंक और अन्य बनाम प्रोमिला और अन्य** (सुप्रा.) के मामले में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को ध्यान से पढ़ने पर यह न्यायालय पाता है कि उच्चतम न्यायालय ने फिर से दोहराया है कि यदि नियोक्ता द्वारा नियुक्ति देने के लिए कोई योजना बनाई गई है, तो ऐसी योजना का पालन करना आवश्यक है और संबंधित तारीख मामले पर विचार, योजना के सख्त प्रावधानों के अनुसार होगा।

इस न्यायालय का मानना है कि, मामले के वर्तमान तथ्यों में, नियोक्ता द्वारा पहले ही नियम बनाए जा चुके हैं और केवल उसी के अनुसार, अपीलार्थी के मामले पर विचार किया जाना आवश्यक है।

45. इस न्यायालय ने पाया कि **मलाया नंदा सेठी बनाम उड़ीसा सरकार और अन्य** (सुप्रा.) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने के मुद्दे पर विचार किया है। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि यदि अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर विचार के समय अनुवर्ती योजना या नियम पेश किए गए हैं, तो प्रासंगिक तिथि अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन की तारीख होगी और यहां तक कि बाद में योजना में बदलाव या नियमों में

बदलाव भी किया जाएगा।

इस न्यायालय ने पाया कि उच्चतम न्यायालय ने यह भी देखा है कि अनुकंपा नियुक्ति देने का उद्देश्य दायर किए गए आवेदनों पर तत्काल प्रतिक्रिया देकर पूरा किया जाना आवश्यक है और ऐसे मामलों पर विचार करते समय नियोक्ता द्वारा कोई अनुचित देरी नहीं की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश का प्रासंगिक पैरा 9 यहां उद्धृत किया गया है:-

> "**9**. वर्तमान आदेश से अलग होने से पहले, हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करते हुए, मृत कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी की असामयिक मृत्यु पर वित्तीय कठिनाई की स्थिति में रखा जा सकता है। सेवा और आधार या नीति मृतक के परिवार को उसकी असामयिक मृत्यु के परिणामस्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान करने में तात्कालिकता है, अधिकारियों को प्रचलित नीति के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए ऐसे आवेदनों पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसे पूर्ण आवेदन जमा करने की तारीख से छह महीने की अवधि के बाद।
>
> हम उपरोक्त निर्देश देने के लिए बाध्य हैं क्योंकि हमने पाया है कि कई मामलों में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के आवेदनों पर समय पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उन्हें वर्षों तक लंबित रखा जाता है। परिणामस्वरूप, कई मामलों में आवेदकों को अपने आवेदनों पर विचार करने के लिए परमादेश रिट की मांग करते हुए संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करना पड़ता है। ऐसा निर्देश जारी होने के बाद भी, आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए तुच्छ या परेशान करने वाले कारण बताए जाते हैं। एक बार फिर, आवेदकों को उच्च न्यायालय के समक्ष अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देनी पड़ती है, जिसके कारण मुकदमा लंबित हो जाता है और समय बीत जाता है, जिससे उस कर्मचारी का परिवार अधर में रह जाता है और वित्तीय कठिनाई में पड़ जाता है, जिसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा, अधिकारियों को सबसे अच्छे से ज्ञात कारणों और अप्रासंगिक विचारों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं। कई वर्षों के बाद या तत्काल मामले में उन पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है।
>
> यदि प्रासंगिक नीतियों या नियमों के तहत परिकल्पित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य को हासिल किया जाना है तो यह उचित और आवश्यक है कि ऐसे आवेदनों पर समय पर विचार किया जाए न कि विलंबित तरीके से। हमारे सामने ऐसे मामले आए हैं, जहां करीब दो दशक तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विवाद नहीं सुलझा। इसके परिणामस्वरूप सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति देने की नीति ही विफल हो जाती है। इसलिए, हमने निर्देश दिया है कि ऐसे आवेदनों पर जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए। विचार निष्पक्ष, उचित और प्रासंगिक विचार पर आधारित होना

> चाहिए। आवेदन को तुच्छ और मामले के तथ्यों से असंगत कारणों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। तभी और केवल तभी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य और लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।"

46. इस न्यायालय ने पाया कि उच्चतम न्यायालय ने ***मुकेश कुमार*** (सुप्रा.) के मामले में फिर से दोहराया है कि किसी उम्मीदवार के दावे को अनुकंपा नियुक्ति की योजना के तहत केवल इसलिए विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह व्यक्ति दूसरे का बेटा है। पत्नी और उसकी उम्मीदवारी पर मौजूदा नीति के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। उक्त आदेश का प्रासंगिक पैरा 11 यहां उद्धृत किया गया है: -

> "**11**. उपरोक्त को देखते हुए, हम मानते हैं कि इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा, भारत संघ और अन्य बनाम वी. वी.के. त्रिपाठी में इस न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत आता है और परिणामस्वरूप 2017 के सीडब्ल्यूजेसी नंबर 18153 में पारित उच्च न्यायालय, पटना के 18.01.2018 के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है। जैसाकि हमने माना है कि अपीलार्थी नंबर 1, श्री मुकेश * कुमार को अनुकंपा नियुक्ति की योजना के तहत विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह दूसरी पत्नी का बेटा है, मौजूदा नीति के अनुसार उसके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाएगा। प्राधिकारियों को यह जांच करने का अधिकार होगा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कानून के अनुसार अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। आवेदन पर विचार की प्रक्रिया आज से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

47. इस न्यायालय ने पाया कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ***पश्चिम बंगाल सरकार बनाम देबब्रत तिवारी एवं अन्य*** (सुप्रा.), के मामले में निर्णय पारित किया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति के दायरे पर फिर से विचार किया है और अनुकंपा नियुक्ति के पीछे की तर्कसंगतता को भी उच्चतम न्यायालय द्वारा फिर से समझाया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने आगे पाया कि भले ही अनुकंपा नियुक्ति देने की नीति हो, आवेदक को उचित या निर्धारित समय के भीतर आवेदन दाखिल करना होगा और यदि ऐसे आवेदन कई वर्षों के बाद दायर किए जाते हैं, तो ऐसे आवेदनों पर नियोक्ता द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

48. इस न्यायालय ने पाया कि मामले के वर्तमान तथ्यों में, अपीलार्थी ने अपने पिता की मृत्यु के दो महीने के भीतर आवेदन किया था और इस तरह, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके मामले को

नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

49. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने ***रामदेव बनाम राजस्थान राज्य*** (सुप्रा) के मामले में श्री आर.ए. कट्टा खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय पर द्वारा भरोसा किया। इस न्यायालय ने पाया कि समन्वय पीठ के समक्ष मुद्दा अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में था और नियुक्ति 1996 के प्रासंगिक अनुकंपा नियमों के अनुसार दी जानी थी। खंडपीठ ने नियमों के नियम 7 पर विचार किया। 1996 का और यह भी पाया गया कि प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत, व्यक्ति के पास अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए।

50. हम पाते हैं कि 1996 के नियमों का नियम 7(3) अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्यता प्रदान करता है और उप-नियम (3) विशेष रूप से प्रदान करता है कि किसी आश्रित को नियुक्त करने से पहले, नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि आश्रित अन्यथा नियुक्ति सरकार द्वारा संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित उनके चरित्र और शारीरिक फिटनेस और **अन्य सामान्य शर्तों की पूर्ति को देखते हुए सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त है।**

यह न्यायालय पाता है कि यदि प्रासंगिक सेवा नियमों में, कट ऑफ डेट के बाद दो से अधिक बच्चे नहीं पैदा करने की पात्रता निर्धारित है, तो जाहिर तौर पर नियोक्ता को इस तरह के खंड पर विचार करने का पूरा अधिकार होगा और किसी भी मामले में, अनुकंपा नियुक्ति के लिए उम्मीदवारी को खारिज किया जा सकता है।

हालाँकि, वर्तमान मामले में, कोई योग्यता/पात्रता या सामान्य शर्त निर्धारित नहीं की गई है, जैसा कि संबंधित सेवा नियमों में है और इस प्रकार, यह निर्णय प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता के लिए बहुत कम सहायता है।

51. इस न्यायालय ने पाया कि विद्वान एकलपीठ ने भी अपीलार्थी के मामले पर उचित तरीके से विचार नहीं किया है और इस प्रकार, यह न्यायालय अपीलार्थी द्वारा दायर अपील की अनुमति देता है।

52. यह न्यायालय विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2018 और आदेश दिनांक 24.10.2019 को रद्द कर देता है और अपीलार्थी की योग्यता और अन्य को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियमों की शर्तें जो नियोक्ता ने 1983 के अनुकंपा विनियमों में निर्धारित की हैं, के अनुसार उपयुक्त रोजगार के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार किया जा सकता है।

53. इस न्यायालय ने पाया कि चूंकि अनुकंपा नियुक्ति का दावा विद्वान एकलपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है, इसलिए प्रत्यर्थियों को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

54. तद्नुसार, उपरोक्त निर्देशों के साथ वर्तमान विशेष अपील स्वीकार की जाती है।

(आशुतोष कुमार), न्यायमूर्ति **(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति**

Himanshu Soni/27

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।